अतिशीघ्र / तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/466/एल.डब्ल्यू./2022–23/2013-14 दिनाँक – 14/12/23

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषय– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 , दिनाँक – 15.12. 2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–15.12.2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

Geeta Thakur

(गीता ठाकुर)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

संख्या – डी.ई. 25(13)/466/एल.डब्ल्यू./2022–23/2013-14 दिनाँक – 14/12/23

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Geeta Thakur

(गीता ठाकुर)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 30

दिनाँक :–15.12.2023

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कुल कितने स्कूल कार्यरत हैं;	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा 14 स्कूल कार्यरत हैं।
ख)	क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय के अनुपात में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यार्थियों को सप्ताह में शिफ्ट अनुसार स्कूल में आने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है;	जी नहीं।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के बहुत से स्कूल हैं जहां भवन निर्माण के लिये खाली जमीन पड़ी हुई है और वहां बच्चों के पढ़ने के लिये भवन बनाये जा सकते हैं;	करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 भूखंड खाली पड़े हैं और खाली भूखंडों का आकार 1018 वर्ग मीटर और 362 वर्ग मीटर है अपितु इनका आकार विद्यालय बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि शिक्षा निदेशालय कुछ खाली जमीनी टुकड़ों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।
घ)	भवन निर्माण के लिये खाली जमीन पड़ी होने के बावजूद वहां पर विद्यालय भवन न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और	उपरोक्तानुसार।
ड.)	इन खाली जमीन पर कब तक नये विद्यालय भवन बनाकर तैयार कर दिये जायेंगे?	

Geeta Thakur

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi